

CHILD PROTECTION POLICY

प्रसार संस्था बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा के रोकथाम एवं उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हर देश एवं समाज में बच्चों के साथ हिंसा एवं उत्पीड़न होता है। इस पॉलिसी में मूल्यों, सिद्धांतों एवं विश्वास के साथ उन चरणों का वर्णन किया गया है जिस से बच्चों को हिंसा से बचाने के हमारे संकल्प को पूरा करने में सहायता हो।

इस पॉलिसी को प्रसार संस्था के हर ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एवं वालंटियर के साथ अपनाया एवं लागू किया गया है।

हमारे मूल्य, सिद्धांत एवं विश्वास-

परिचालन मानकों के लिए आचार संहिता

- हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों, को प्रसार संस्था के साथ जुड़ाव, संचार, गतिविधियों या घटनाओं के कारण किसी भी प्रकार की हिंसा या नुकसान का अनुभव नहीं होना चाहिये।
- हमारे सभी सुरक्षा कार्यों को जेंडर-संवेदनशील होना चाहिए, लड़कियों और युवा महिलाओं को सार्थक भागीदारी के लिए सुरक्षित स्थानों को बढ़ावा देना चाहिए।
- प्रसार संस्था, पीड़ितों और व्हिसल-ब्लोअर की सुरक्षा को सबसे पहले रखती है, जो इन व्यक्तियों की क्षमता और आवाज के लिए समय-समय पर प्रभावी और सम्मानजनक सुरक्षा प्रतिक्रियाओं को लागू करने के लिए काम कर रही है।
- हमारे स्टाफ को ऐसे माहौल को बढ़ावा देना चाहिए जहाँ हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं ताकि जब कोई घटना घटती हो तो वह अपनी बात कह सके।
- रिपोर्ट हमेशा तुरंत (24 घंटों के भीतर) दी जानी चाहिए ताकि हम जिन व्यक्तियों की सुरक्षा करते हैं, वे उनकी रक्षा और समर्थन करने के हमारे प्रयासों में आश्वस्त हों।
- दुर्व्यवहार या शोषण की रिपोर्ट करने के लिए किसी स्टाफ सदस्य के खिलाफ किसी भी प्रकार का जबरदस्ती, धमकी, या प्रतिशोध बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
- जोखिम में बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए सभी कर्मचारी वालंटियर्स/कंसल्टेंट्स/जिला रिसोर्स ग्रुप सदस्य जिम्मेदार हैं।
- बाहरी संचार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए जिसमें एक बच्चे या युवा व्यक्ति के बारे में लिखित, दृश्य या श्रव्य जानकारी शामिल है, जिसने प्रसार संस्था के साथ काम किया है या उनके संपर्क में आया है (संचार मानक का पालन करें)।
- यदि प्रसार संस्था के बाहरी संचार में कोई बच्चे और/या युवा लोग शामिल हैं, तो परियोजना प्रबंधक को यह निर्धारित करने के लिए जोखिम मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या ये संचार संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं या उन्हें नुकसान के जोखिम में डाल सकते हैं, जिसमें लड़कियों और महिलाओं, जो दर्दनाक अनुभव बयां कर रही हैं, को पुनराघात की संभावना भी शामिल है।

- गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना, जिसमें उनकी तस्वीर लेना, फिल्म बनाना या अन्य छवि या ध्वनि रिकॉर्डर का उपयोग करना शामिल हो सकता है, गतिविधियों के सञ्चालन से पहले बच्चे और उसके माता-पिता/ देखभालकर्ता से पूर्ण और सूचित सहमति के साथ ही किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि माता-पिता/ देखभाल करने वाले और बच्चे यह समझते हैं कि उनकी छवि का उपयोग कहाँ और क्यों किया जायेगा और इसे किसके द्वारा देखा जा सकता है।
- प्रसार संस्था स्टाफ सदस्यों कि गोपनीयता का सम्मान करती है, लेकिन अपने वैध उद्देश्यों के लिए आने वाले और बाहर जाने वाले सभी ईमेल और वेबसाइटों (और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री) के उपयोग की निगरानी और रिकॉर्ड करने के अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
- सभी कर्मचारियों को ईमेल या फ़ोन के माध्यम से 24 घंटे के भीतर सुरक्षा प्रबंधक और संचालन निदेशक को किसी भी चिंता या आरोपों कि रिपोर्ट करनी चाहिए।

व्यवहार के लिए आचार संहिता: मैं वचनबद्धता करता/करती हूँ की मैं -

- सुरक्षा संबंधी नीति का पालन करूँगा और बच्चों और युवाओं, उनके परिवारों और कार्यक्रमों,परियोजनाओं, प्रक्रियाओं, आयोजनों और गतिविधियों में भाग लेने वाले समुदायों के साथ अपने व्यवहार में ईमानदार रहूँगा।
- बच्चों, युवाओं और कमजोर वयस्कों के साथ ऐसा व्यवहार करूँगा जो उनके अधिकारों, अखंडता और गरिमा का सम्मान करता हो और उम्र, लिंग पहचान, यौन अभिव्यक्ति, राष्ट्रियता, जातीय मूल, रंग, नस्ल, भाषा, धार्मिक या राजनितिक विश्वास, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य परिवार, सामाजिक-आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वर्ग, या कानून के साथ संघर्ष का कोई इतिहास की परवाह किये बिना उनके सर्वोत्तम हितों पर विचार करता हो।
- बच्चों, युवाओं और कमजोर व्यक्तियों के लिए सकारात्मक रोल मॉडल प्रदान करते हुए, हर समय पेशेवर व्यवहार के उच्च मानकों को प्रदर्शित करूँगा।
- हमारे काम से जुड़े या पूर्व में जुड़े किसी भी बच्चे या परिवार से व्यक्तिगत संपर्क विवरण प्राप्त करना या व्यक्तिगत संपर्क विवरण प्रदान करना, (इसमें ईमेल, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया संपर्क, पता, वेब कैमरा, स्काइप आदि शामिल हैं) या साझा करने के लिए कभी भी व्यक्तिगत संपर्क विवरण या निमंत्रण न मांगे या स्वीकार न करें। ऐसे व्यक्तियों के साथ मेरा अपना व्यक्तिगत संपर्क विवरण, सिवाय इसके कि इसे संगठन द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है, साझा नहीं करेंगे।
- हमेशा सुनिश्चित करना कि जब किसी आधिकारिक या कार्य यात्रा पर हों, और मैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए संगठन से जुड़े बच्चों और युवाओं कि तस्वीरें लेना चाहता/चाहती हूँ, तो मैं-
 - a) हमेशा पहले स्थानीय कार्यालय से परामर्श करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय सन्दर्भ में तस्वीरें लेना ठीक है या नहीं और चित्रों का इच्छित उपयोग संगठनात्मक नीतियों के विरोध में नहीं है।
 - b) बच्चे या युवा व्यक्ति (या छोटे बच्चों, उनके माता-पिता या अभिभावक के मामले में) से अनुमति मांगें और उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों और इच्छित उपयोग (कैसे और कहा सहित) के बारे में

- c) सूचित करें और न कहने के उनके निर्णय का सम्मान करें। यह स्पष्ट करना कि इस तरह की सहमति लेकर करने से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- d) सुनिश्चित करें कि छवियाँ सम्मानजनक हो और उनकी गरिमा और गोपनीयता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती हैं।
- e) सुनिश्चित करें कि छवियों के उपयोग से बच्चे, युवा व्यक्ति या कमजोर वयस्कों की पहचान या पता होने का जोखिम नहीं होता है।
- f) पूर्ण और स्पष्ट सहमति के बिना बच्चों और युवाओं की छवियों को गैर-संगठनात्मक सोशल मीडिया पेजों पर कभी भी अपलोड न करें।

(B) व्यवहार के लिए आचार संहिता: मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा/करूँगी -

1. किसी बच्चे या युवा व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या शोषण करना या किसी भी तरह से व्यवहार करना जिससे बच्चे या युवा व्यक्ति को नुकसान का खतरा हो, जिसमें हानिकारक पारम्परिक प्रथाओं जैसे कि, उदाहरण के लिए, महिला जननांग कर्तन, जबरन या बल विवाह शामिल है।
2. 18 वर्ष से काम आयु से कम किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक/ यौन संबंध विकसित करना या किसी भी प्रकार कि यौन गतिविधि में शामिल होना, चाहे स्थानीय सहमति कि उम्र कुछ भी हो। एक बच्चे की उम्र में गलत विश्वास बचाव नहीं है।
3. 18 से 24 वर्ष की आयु के प्रत्यक्ष लाभार्थियों के साथ यौन संबंधों में संलग्न रहना, क्योंकि ये संगठनात्मक कार्य की विश्वसनीयता और अखंडता को कमजोर करते हैं और स्वाभाविक रूप से असमान शक्ति गतिशीलता पर आधारित होते हैं।
4. बच्चों और युवाओं के प्रति शारीरिक दंड/अनुशासन या किसी भी प्रकार के शारीरिक बल का प्रयोग करना।
5. किसी बच्चे या युवा व्यक्ति के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करना या व्यवहार करना जो अनुचित, आक्रामक, अपमानजनक, यौन उत्तेजक या सांस्कृतिक रूप से अनुपयुक्त हो।
6. एक बच्चा/युवा व्यक्ति जिसके साथ मैं काम से संबंधित सन्दर्भ में संपर्क में हूँ, मेरे घर या किसी अन्य व्यक्तिगत आवासीय स्थान या आवास पर रात भर रहें।
7. एक बच्चे या युवा व्यक्ति के रूप में उसी कमरे या बिस्तर पर सोना, जिसके साथ मैं काम से संबंधित सन्दर्भ में संपर्क में हूँ। जहाँ अकेले बच्चों और युवा लोगों या कमजोर वयस्कों के करीब सोना जरूरी है, मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि एक और वयस्क मौजूद है और यह अधिकृत प्रक्रियाओं के अनुरूप है।
8. बच्चों और युवाओं या कमजोर वयस्कों के साथ दूसरों से दूर अकेले समय बिताना जिनके साथ मैं काम से संबंधित सन्दर्भ में संपर्क में हूँ। मैं हमेशा यह सुनिश्चित करूँगा कि कोई अन्य वयस्क मेरे साथ है और/या मैं बच्चे/युवा/कमजोर वयस्क के साथ एक खुले सार्वजनिक स्थान पर हूँ, जहाँ अन्य लोग आसपास हैं और स्थान दूसरों के सामने खुले हैं।
9. ऐसे तरीके से कार्य करना जो बच्चों और युवाओं को शर्मिंदा, अपमानित, छोटा या नीचा दिखाएँ, या अन्यथा किसी भी प्रकार का भावनात्मक शोषण करना।

10. बच्चों या युवा लोगो के व्यवहार में भाग लेना या उसमें भाग लेना जो अवैध, असुरक्षित या अपमानजनक है।
11. पोनोग्राफी तक पहुंचने, देखने, बनाने, डाउनलोड करने या वितरित करने के लिए कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, या वीडियो/डिजिटल कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना, विशेष रूप से बच्चों या युवाओं कि अपमानजनक छवियां

काम के बाहर व्यक्तिगत आचरण

हमारे कर्मचारी, सहयोगी, आगंतुक भागीदार और अन्य सभी जो नीति के दायरे में हैं, आत्म-नैतिक मानकों से बंधे हैं। हमारी नीति पेशेवर स्थान में मानकों कि रूपरेखा तैयार करती है, लेकिन यह व्यक्तिगत स्थान तक भी अपेक्षित है।

हम सभी को यह बताने में विश्वास नहीं करते हैं कि उन्हें अपने निजी जीवन पर किसी तरह से शासन करना चाहिए, लेकिन यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनके कार्यों का उनकी व्यक्तिगत और संस्थागत प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ने वाला है। इस प्रकार, व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिक और नैतिक मानकों के उच्च मापदंड को प्रदर्शित करने कि हमेशा सलाह दी जाती है।

हम क्या करते हैं-

हम निम्न तरीकों से बच्चों को सुरक्षित रखने के अपने निश्चय को पूरा करेंगे-

1. **जागरूकता:** हम ये सुनिश्चित करेंगे, हमारे यहाँ सभी कर्मचारी, वालंटियर एवं अन्य सभी लोग बच्चों से जुड़ी हिंसा की सभी समस्या एवं खतरे के बारे में जागरूक हो.
2. **रोकथाम:** हम ये सुनिश्चित करेंगे की जागरूकता एवं अच्छी आदतों के साथ हमारे कर्मचारी एवं अन्य सभी लोग बच्चों के साथ होने वाली हिंसा खतरे को कम कर सकें।
3. **सूचना देना:** हम ये सुनिश्चित करेंगे की हमारे कर्मचारी एवं अन्य सभी को इस बात की स्पष्टता हो की जब भी बच्चों की सुरक्षा से जुडी कोई भी बात हो, तो उन्हें क्या कदम उठाना है
4. **कार्यवाही:** हम ये सुनिश्चित करेंगे की जहाँ पर भी आवश्यकता हो बच्चों को सहारा एवं सुरक्षा देने की उस स्थिति में हुई हिंसा के खिलाफ उचित कदम उठाया जाये।

उपर्युक्त बताये गए रिपोर्टिंग एवं कार्यवाही के मानकों को पाने के लिए, प्रसार संस्था के सभी कर्मचारी, साथी एवं वालंटियर्स -

- ऐसे सभी बच्चे जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है, कर्मचारी या अन्य किसी वयस्क के द्वारा चिंता व्यक्त की गई हो अथवा जहाँ चिंता व्यक्त की जाने हो, उनके लिए सकारात्मक कदम उठाये
- “बच्चों को प्राथमिकता देने” के सिद्धांत को प्राथमिकता देते हुए सभी तरह के कार्यवाही एवं जाँच के दौरान प्रक्रिया के अनुसार उचित एवं प्रभाविक कदम ही उठाये
- बच्चों की इच्छा एवं विचार को महत्व दें एवं ध्यान से सुनें
- बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता/ संरक्षक एवं/ अथवा अन्य प्रोफेशनल के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए मिल के कार्य करें



हमारे मानक: UN Convention on the Rights of the Child (1989), Article 19 कहता है, “पक्ष द्वारा बच्चे को सभी प्रकार के शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट या दुष्प्रयोग, नकारने, बुरे व्यवहार या शोषण, जिसमें यौन उत्पीड़न भी है, सुरक्षित रखना चाहिए।”

निष्कर्ष:

मैं घोषणा करता/ करती हूँ की मेरे द्वारा “Child Protection Policy” को प्राप्त, पढ़ एवं समझ लिया गया है। मेरी सहमति है की मेरे द्वारा सभी कार्य पॉलिसी के अनुसार ही होंगे और पॉलिसी के उल्लंघन पर मेरे खिलाफ़ संस्था द्वारा अनुशासनत्मक कार्यवाही जिसमें मेरे कार्य के समापन एवं जो भी उचित कानूनी कदम उपलब्ध हैं, किया जा सकता है।

नाम	पद	संस्था	दिनांक	हस्ताक्षर
-----	----	--------	--------	-----------